रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236417
CG-DL-E-08062022-236417

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2502] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944
No. 2502] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISTHA 18, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

का.आ. 2629(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 10 जनवरी, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 117(अ), तारीख 05 जनवरी, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''दैनिक जागरण'' और ''प्रभात खबर'' में तारीख 21 जनवरी, 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाः औरंगाबाद

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना न.	खाता नं.	प्लॉट नं.	प्रभावित रकवा		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि के मालिक/ हितबद्ध रैयतों का नाम
					एकड़ में	हैक्टेयर में			
1	फेसर	502	73	43/965	0.0500	0.02010	सड़क	अंश	गैरमजरूआ आम।
2	बद्पुर	707	57	1058	0.0250	0.01012	धनहर	अंश	रामपुकार प्रजापति पिता–स्व0 युगेश्वर प्रजापति ग्राम–बद्दोपुर।

[फा. सं. 2022/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2313]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

S.O. 2629(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.117 (E), dated the 5th January, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th January, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Aurangabad in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, "Dainik Jagran" and "Prabhat Khabar" dated the 21st January, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Aurangabad in the State of Bihar.

DISTRICT: AURANGABAD

S.No.	Name of Mouza	Thana No.	Khata Number	Plot/ Survey No.	Affected Area		Type of Land	Nature of Land	Name of land owner / Interested persons
					Area (in Acre)	Area (in Ha)			
1	Phesar	502	73	43/965	0.0500	0.02010	Road	Part	Gair Majarua Aam.
2	Baddopur	707	57	1058	0.0250	0.01012	Dhanhar	Part	RampukarPrajapati S/o late Yugeswar Prajapati Village-Baddopur.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2313]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.08 22:57:42 +05'30'